

मालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

26<sup>11</sup>/<sub>25</sub> फ्रावली पेरा हुई। वार-वार आवाज दिलाने पर भी सायलान एवं उनके अधिवक्ता उप नहीं हुण। अतः मु. नं. 18/2023 उमवान कल्याण वनाम जेट्टे प्राँक राजस्थान T. J. हाभिरा पर अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैंड रेवेन्यू ऐक्ट बाबत दुस्स्ती इन्हाज जाति कलामत नो जाति रावल दर्ज करमे अरम पैरी अरम ठजिरी में धारिज किया जाता है। फ्रावली कैसल शुमार ठोमड वार तम्बील नं. से कम नी जाकड मूल रावे के समय शामिल मिसल रहे।  
 आगे युले न्यायालय में सुनाया गया है।